न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बनेड़ा
जिला–भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या......12/19.../20.... ना.क.

अनवान

पटवार हल्का......कामलिया......बनाम श्री ......इलाहीबख्श......पिता श्री......फतु खां......
तहसील–बनेड़ा, जिला–भीलवाड़ा जाति......कायमखानी......निवासी......भीमपुरा......

(प्रार्थी) (अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक......6/9/19......

पत्रावली पेश हुई । पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:– ग्राम......भीमपुरा......पटवार मण्डल......कामलिया......तहसील बनेड़ा की बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर......39......में से रकबा......0.02......बीघा पर अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्वत्......2076......के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिसं......पक्की दीवार......काश्त/अवैध कब्जा/......पक्की दीवार......कर लेने पर पटवारी हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया या । नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है ।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण होना तथा जिस......पक्की दीवार......काश्त स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है ।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय ~~बिलानाम~~/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है अतः प्रार्थी को अतिक्रमी करार देतेहुये मौके से बेदखल किये जाने एवं ~~फसल जब्त सरकार की जाकर निलाम~~ किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान......0.08......X ......50......का गुणा ......5/-......रूपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है । आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है ।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे । राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई जावे । बाद तामिल तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

तहसीलदार बनेड़ा
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner